न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला बाड़मेर

राजस्व वाद :– 138/2018

वादीगण :

1. प्रेमदान 2. भगवानदान 3. वीरमदान पि0 हुकमदान, जाति चारण, निवासी झणकली, तह0 गडरारोड, जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण :–

1. हुकमदान 2. भीखदान पि0 दुर्गदान, जाति चारण, निवासी झणकली, तह0 गडरारोड, जिला बाड़मेर, 3. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरसाणी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

05.06.2018

वादीगण ने बमुकाम कैम्प झणकली उपस्थित होकर इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पति की संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि ख0 न0 307/129, 310/130 व 318/185 रकबा क्रमश 9, 117 व 48 बीघा कुल रकबा 174 बीघा मौजा करणीनगर, तहसील गडरारोड मे अवस्थित है। पक्षकारान जाति से चारण होने से हिन्दु विधि से शासित होते है। हिन्दु विधि के अनुसार दादा की सम्पति मे पोतो का जन्मतः हक होता है। इस प्रकार उक्त भूमि में 3/8 हिस्सा प्रत्येक वादी एवं 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का बनता है। इसी अनुसार पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के दादा दुर्गदान के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाकर वादीगण के कब्जाकाश्त की भूमि मे लगातार दखलदाजी कर रहे है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ अपने नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध मे मजमे आम मे पूछताछ की गई। पक्षकारान के बयान कलमबद्ध किये गये।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत झणकली द्वारा जारी वारीस प्रमाणपत्र, वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी एवं वादग्रस्त भूमि की खतौनी बंदोबस्त प्रस्तुत की।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों की ताइद करते हुए माफिक इस्तदुआ वाद स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने दोनों पक्षों को वाद के तथ्यों पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादपत्र पर अंकित वंशवृक्ष एवं बन्दोबस्त रेकर्ड से स्पष्ट है कि पक्षकार मुतवफी दुर्गदान के वारीस हैं तथा वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक सम्पति है। पक्षकार जाति से चारण होने से हिन्दु विधि से शासित होते है और इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर हक होना साबित है। सरपच ग्राम पंचायत झणकली द्वारा जारी वारीस प्रमाणपत्र तथा मजमे आम में की गई पूछताछ से हुकमदान के वारिसान में उनके तीन पुत्र वादीगण ही होने तथा उनके अतिरिक्त उसके अन्य कोई जीवीत या मृत वारीस नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब के अनुसार वह वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में अपने साथ वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु सहमत हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
शिव

Scanned by CamScanner

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम करणीनगर, तहसील गडरारोड़ की खसरा नम्बर 307/129, 310/130 व 318/185 रकबां क्रमंशः 9, 117 व 48 बीघा कुल रकबा 174 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 3/8 हिस्सा प्रत्येक वादी एवं 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर, शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner